वित्तीय वर्ष 2017–2018 के बजट अनुमानों पर माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2017–2018 का आय–व्ययक प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मान्यवर,

महान लोकतांत्रिक परम्पराओं से परिपूर्ण अपने इस उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे आदरणीय सदन के सम्मानित जनसेवी सदस्यों के समक्ष इस गौरवशाली सदन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में बजट प्रस्तुत करते हुये मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है। मार्च, 2017 में प्रदेश के आम चुनाव में छद्म धर्मनिरपेक्ष ताकतों, अराजक तत्वों और अवसरवादी गठजोड़ों को खारिज करते हुये भारतीय जनता पार्टी में सम्पूर्ण विश्वास के साथ प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 312 सदस्यों एवं सहयोगी दलों के 13 सदस्यों के पक्ष में स्पष्ट जनादेश दिया। जो जनादेश हमें प्राप्त हुआ है, उससे अभिभूत होकर मैं इस परम आदरणीय सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ तथा आदर प्रदर्शित करने हेतु मैं यहाँ उपस्थित हूँ। इस महान प्रदेश को समर्पित भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार इस जनादेश की मर्यादा और प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिये सतत् क्रियाशील रहकर सदैव प्रयत्न करेगी।

राष्ट्र की अस्मिता के प्रतीक मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान राम का स्मरण करना हमारी प्रतिबद्धता है। उनको नमन करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार के सामने अनेक चुनौतियाँ हैं। हमें विरासत में सीमित संसाधन और आर्थिक दृष्टि से विपन्नता प्राप्त हुई है। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि विरासत भली है तो खुशहाली है और आगे के कार्यक्रम भी सुगम होते हैं। विगत सरकार से हमें जो प्राप्त हुआ है, उसकी दुःखद सच्चाई से अपने को मोड़ा नहीं जा सकता। इस प्रदेश को विरासत में अपराध एवं अराजकता, निराशावाद और जातिवाद के जहर से जूझता प्रदेश, साम्प्रदायिक उन्माद एवं साम्प्रदायिक दंगों से जलता उत्तर प्रदेश, राजनीति के अपराधीकरण, खनन और भू–माफिया की अवसरवादिता – विकास की दृष्टि से अवरोधित ऐसा उत्तर प्रदेश हमें विरासत में प्राप्त हुआ है।

मान्यवर,

बजट की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुये मुझे एक शायर की पंक्तियाँ याद आ रहीं हैं –

"वतन की रेत, मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे,

मुझे यकीं है, पानी यहीं से निकलेगा ।"

हमारी सरकार की कल्याणकारी अवधारणा और विचारधारा जिससे अब तक सभी लोग परिचित हो चुके हैं, मैं क्रमशः संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ :–

'लोक कल्याण संकल्प पत्र–2017' में हमने कहा कि हम ऐसे प्रदेश के निर्माण के लिये प्रतिबद्ध हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सर्वोपरि हो और प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान मिले। पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी ने अपने मार्गदर्शन में कहा है –

"अर्थ व्यवस्था में न्यूनतम आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान (पीने का पानी) शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा होनी चाहिये। इनकी पूर्ति हेतु साधन चाहिये। यह संभव होगा जब देश के हर आदमी को काम मिलेगा। इसलिए हर हाथ को काम अर्थव्यवस्था का आधारभूत लक्ष्य होना चाहिये।"

परम आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकास के मूल मंत्र "सबका साथ – सबका विकास" इस ध्येय वाक्य को सम्बल प्रदान करते हुये "मनसा वाचा कर्मणा" के साथ उत्तर प्रदेश के कर्मठ माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उपर्युक्त मूल मंत्र से प्रदेश के चहुँमुखी सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए उक्त ध्येय वाक्य को एक संजीवनी के रूप में मूर्त स्वरूप देने के लिये प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का स्पष्ट संदेश है कि हम राष्ट्र की प्रगति को नये शिखर पर ले जाने के लिए कार्य कर रहे हैं।

माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये ठोस प्रयास प्रारम्भ कर दिये हैं। इसके परिणाम भी अंकुरित होने प्रारम्भ हो गये हैं। पिछली सरकारों के 15 वर्षों के कार्यकाल में जनता और अर्थव्यवस्था बेहाल हुई है, किन्तु अब प्रदेश में नव ऊर्जा का संचार हुआ है। उत्तर प्रदेश के लिए विकास एकमात्र मंत्र है। प्रदेश में गरीबी को समाप्त करना हमारी सरकार का लक्ष्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश अगले पाँच वर्षों में 10 प्रतिशत की विकास दर को प्राप्त करे।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बता दिया गया है कि अपराध तथा अपराधियों के संरक्षणदाताओं के लिये प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी। ऐसे तत्वों से पूरी सख्ती के साथ निपटा जायेगा

और अगर किसी ने गरीब, निरीह, कमजोर या किसी व्यापारी का उत्पीड़न किया तो फिर उसको प्रदेश की कानून व्यवस्था दण्डित किये बिना नहीं छोड़ेगी । माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मत है कि ''निर्दोषों को छेड़ेंगे नहीं, दोषियों को छोड़ेंगे नहीं''।

मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्दों में कहना चाहूँगा कि सरकार ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास और सुशासन की बात कही है और यह सरकार सर्वांगीण विकास और सुशासन हेतु एक भय–रहित समाज स्थापित करके रहेगी, यह हमारा संकल्प है।

मान्यवर,

प्रस्तुत बजट लोक कल्याण की अवधारणा के मूल मंत्र से प्रेरित है। इसमें किसानों, दुर्बल वर्ग, महिलाओं एवं बालिकाओं, बुजुर्गों और युवा वर्ग को समाज में भयरहित वातावरण प्रदान करने और सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए सक्षम बनाने की योजनायें सम्मिलित हैं।

हमारा यह बजट ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी आवश्यकताओं – बिजली, पानी, सड़क, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधायें समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों के आर्थिक उत्थान को समर्पित है। हमने इस बजट में किसानों की आय में वृद्धि तथा उनके सशक्तिकरण, ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास और रोजगार के अवसर सृजित करने की योजनाओं का समावेश किया है।

इस बजट में जहाँ एक ओर ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया है वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश को आधुनिकता

के पथ पर त्वरित गति के साथ आगे बढ़ाने के लिए अनेकों कार्यक्रम और योजनायें बजट में शामिल की गयी हैं। इनमें पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे, प्रदेश के पाँच महानगरों में मेट्रो, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017, विशेष निवेश बोर्ड का गठन, सिंगल विन्डो क्लियरेन्स की व्यवस्था, मेक इन यू0पी0 को बढ़ावा, पॉवर फॉर ऑल आदि कुछ प्रमुख योजनायें हैं। इसके अतिरिक्त शीघ्र ही राज्य सरकार टेक्सटाइल नीति लाने जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैनुफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी नीतियां लायी जायेंगी। हमारा यह संकल्प है कि डिजिटल इण्डिया को हमारा प्रदेश और गति प्रदान करे। इसके लिए गरीबों और जरूरतमंदों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने के लिए "टेली लॉ सर्विस कॉमन सर्विस सेन्टर्स" की स्थापना, छः महीने में राज्य के 100 चिकित्सालयों को "ई–हॉस्पिटल" योजना से आच्छादित करना, प्रदेश के विभिन्न नगरों में बिजनेस प्रॉसेस आउटसोर्सिंग केन्द्रों की स्थापना जैसे कार्यक्रम चलाये जायेंगे। शीघ्र ही सचिवालय में 'ई–ऑफिस प्रणाली' लागू की जायेगी ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिए बुन्देलखण्ड क्षेत्र को दिल्ली से एक्सप्रेस–वे द्वारा प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण द्वारा जोड़े जाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है। बुन्देलखण्ड स्थित कतिपय राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने का प्रस्ताव भी केन्द्र सरकार को प्रेषित किया गया है।

आप सभी अवगत हैं कि हमारी सरकार ने मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में ही यह निर्णय लिया कि प्रदेश के सभी लघु एवं सीमांत किसानों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2016 तक लिये गये फसली ऋण के सापेक्ष दिनांक 31 मार्च, 2017 तक की अवशेष राशि में से एक लाख रुपये तक की अदायगी राज्य सरकार

द्वारा की जायेगी। इस निर्णय की घोषणा होने से अन्नदाता के घरों में मुस्कान लौट आई। मैं इस सम्मानित सदन को यह बताना चाहूँगा कि इस निर्णय के क्रियान्वयन के लिये लगभग सभी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं। शीघ्र ही उन किसानों के बकाया फसली ऋण की अदायगी राज्य सरकार द्वारा किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। किसानों द्वारा ऋण की अदायगी न किये जाने के कारण एन0पी0ए0 हो चुके खातों के लिये बैंकों से विमर्श कर एकमुश्त समाधान योजना लायी जायेगी। यही नही, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस योजना से आच्छादित किसी भी कृषक को कोई नोटिस देकर परेशान नहीं किया जाय। मैं इस सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि फसली ऋण मोचन के लिये बजट में 36 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

माल के उत्पादन, आपूर्ति, खरीद या बिक्री तथा सेवाओं पर लगाये जा रहे अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाहित करते हुये केन्द्र एवं राज्य स्तर पर माल एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) प्रणाली दिनांक 01 जुलाई, 2017 से लागू हो गयी है। इसका उद्देश्य देश में माल एवं सेवाओं की आपूर्ति पर कर की समान व्यवस्था लागू करना, करों के 'कर भार' प्रभाव को दूर करना तथा माल एवं सेवाओं के लिए ''एकीकृत राष्ट्रीय बाजार'' स्थापित करना है। संसद में इस हेतु संविधान में यथोचित संशोधन किया गया है। उपभोक्ताओं के लिये इस योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ करों का बोझ एवं इसकी जटिलतायें कम होना होगा।

प्रदेश में माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 दिनांक 19 मई, 2017 को अधिसूचित कर दिया गया है। भारत सरकार

की एक राष्ट्र, एक कर, एक बाज़ार की संकल्पना पर आधारित माल एवं सेवा कर से आर्थिक वृद्धि होगी तथा कर आधार बढ़ने, व्यापार बढ़ने तथा कर व्यवस्था के सरलीकृत होने के कारण केन्द्र एवं राज्यों के राजस्व में भी वृद्धि की संभावना है। किसानों के हित में अधिकांश कृषि उत्पादों पर कर की दर 'शून्य' रखी गयी है। छोटे व्यापारियों के एक बड़े वर्ग को जी0एस0टी0 में पंजीकरण से छूट दी गयी है, वहीं दूसरे बड़े वर्ग को जी0एस0टी0 में आसान तरीके से जोड़ा गया है। यह प्रणाली सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है। विभिन्न प्रक्रियाओं के निस्तारण के लिये समयबद्ध व्यवस्था है। इस प्रणाली में सभी कार्य ऑन लाइन किये जायेंगे तथा करदाता को किसी कार्य के लिये कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रणाली की पारदर्शिता के कारण इसे प्रशासित करना भी सरल होगा।

जी0एस0टी0 जागरूकता हेतु पूरे प्रदेश में लगभग दो हजार से अधिक जी0एस0टी0 कार्यशालाएँ आयोजित की गयी हैं जिनमें लगभग ढाई लाख से अधिक व्यक्तियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जी0एस0टी0 से सम्बन्धित समस्याओं के निस्तारण हेतु वाणिज्य कर के सभी मंडलीय कार्यालयों में 'जी0एस0टी0 हेल्प डेस्क' व्यवस्था प्रारम्भ कर दी गई है।

'लोक कल्याण संकल्प पत्र–2017' में हमने कहा कि सरकार बनने के बाद प्रथम दिवस से ही राज्य को विकास और खुशहाली के मार्ग पर आगे ले जाना हमारा लक्ष्य होगा। सरकार गठन के तत्काल पश्चात् हमने विकास के नये आयामों को प्राप्त करने के लिए किसानों से सीधे गेहूँ तथा आलू खरीद, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान, नई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, नई खनन नीति, ठेके तथा पट्टे में

ई–टेण्डरिंग की व्यवस्था, कार्यालयों में समय से उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू किये जाने का निर्णय, एंटी–भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन, एंटी–रोमियो स्क्वॉयड का गठन, अवैध बूचड़खानों पर रोक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार, महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रभावकारी कार्यक्रम, कुपोषण को दूर करना, 'मेक इन यू0 पी0' को बढ़ावा दिये जाने का निर्णय, कौशल विकास को बढ़ावा, सुगम यातायात सुविधायें, मेट्रो तथा हवाई सेवाओं के विस्तार का निर्णय, भारत सरकार से पॉवर फॉर आल पर सहमति, पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड में विकास हेतु नये प्रयास, वी0 आई0 पी0 कल्चर को समाप्त करना, 24 जनवरी को ''उत्तर प्रदेश दिवस'' मनाने का निर्णय तथा भ्रष्टाचार पर रोक हेतु कड़े कदम उठाये गये।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश की अपार संभावनायें होते हुए भी विगत सरकार की नीतियों एवं प्रदेश में व्याप्त कानून व्यवस्था की खराब स्थिति के कारण प्रदेश में अपेक्षित निवेश नहीं हो पाया। प्रदेश में नई ''औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017'' लागू की जा रही है, जिसका लक्ष्य रोजगार सृजन एवं प्रदेश का स्थायी, समेकित तथा संतुलित आर्थिक विकास को बल देना है।

इस नीति में बुनियादी सुधार एवं व्यापार करने में सहजता पर विशेष बल दिया गया है तथा यह रोजगार सृजन से भी जुड़ी हुई है। इस नीति के अन्तर्गत ''सिंगल विंडो क्लीयरेंस'' की व्यवस्था की जायेगी तथा माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ''राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड'' का गठन किया जायेगा। प्रदेश में ''मेक इन यू0पी0'' को बढ़ावा दिया जायेगा ।

निजी क्षेत्र द्वारा बुंदेलखण्ड एवं पूर्वांचल में 100 एकड़ तथा मध्यांचल में 150 एकड़ से अधिक भूमि पर विकसित औद्योगिक पार्कों एवं एस्टेटों तथा बुंदेलखण्ड, पूर्वांचल एवं मध्यांचल में 50 एकड़ से अधिक भूमि पर विकसित एग्रो पार्कों के लिए प्रोत्साहन प्रदान किये जायेंगे। स्थापित इकाइयों की सुरक्षा हेतु समर्पित पुलिस बल को तैनात किया जायेगा।

इस नीति के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला एवं दिव्यांग उद्यामियों को बढ़ावा देने हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहित किये जाने हेतु ''मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना'' प्रारम्भ की जा रही है। निवेश को प्रोत्साहन एवं ब्राण्ड उत्तर प्रदेश के विपणन को सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश को ''वैश्विक निवेश केन्द्र'' के रूप में प्रस्तुत किये जाने हेतु ''ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट'' आयोजित की जायेगी। प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के स्थानीय स्तर के विशेष व्यवसायों के प्रचार पर पर्याप्त बल दिया जायेगा। मैं यहाँ अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी सरकार के पहले 100 दिनों में सुपर मेगा श्रेणी के अन्तर्गत सैमसंग द्वारा 4 हजार 800 करोड़ रूपये और इंटेक्स द्वारा मेगा श्रेणी के अन्तर्गत 372 करोड़ रूपये का निवेश स्वीकृत किया गया है।

प्रदेश में ''माइक्रोइरिगेशन'' कार्यक्रम के अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित किये जाने हेतु ''प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना'' लागू है, जिसके उप घटक ''पर ड्रॉप मोर क्रॉप–माइक्रोइरिगेशन'' का कार्यान्वयन किया जा रहा है। योजना का कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद हैं। इस योजना के अंतर्गत बागवानी, कृषि एवं गन्ना फसलें सम्मिलित हैं। कार्य योजना वर्ष 2017–18 के अनुसार बागवानी फसलों में

18 हजार 13 हेक्टेयर एवं कृषि फसलों में 22 हजार 139 हेक्टेयर क्षेत्र आच्छादित होंगे, जिसमें 2 हजार 903 हेक्टेयर गन्ना फसल क्षेत्र सम्मिलित है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत पर लघु सीमान्त कृषकों को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों को 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था निर्धारित कर दी गयी है तथा अनुदान का भुगतान कृषकों को सीधे उनके बैंक खातों में किया जायेगा।

प्रदेश को यह सौभाग्य अनेक वर्षों बाद प्राप्त हुआ है कि केन्द्र तथा राज्य में एक जैसी प्रगतिशील विचारधारा की सरकारें हैं। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता का साधुवाद करता हूँ। साथ ही इस सुयोग का लाभ प्रदेशवासियों को मिले, इस दिशा में यह सरकार पूर्ण मनोयोग से जुटी है। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक क्षेत्र में यथासंभव प्रदेश की विकास योजनायें केन्द्र की योजनाओं के समन्वय से चलायी जायें। गत सरकारों में ऐसे प्रयास कम ही किये गये।

''प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना'' के घटक ''पर ड्रॉप मोर क्रॉप–अदर इन्टरवेंशन'' के अंतर्गत लघु सिंचाई विभाग द्वारा लगभग 159 तालाबों के पुनर्विकास की कार्य योजना इस वर्ष हेतु तैयार की गयी है।

''मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम'' प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी कार्यक्रम है, जिसमें सभी आवश्यक मानकों का परीक्षण होता है। परीक्षण के उपरांत ''मृदा स्वास्थ्य कार्ड'' पर कृषकों को अपेक्षित फसलों में संतुलित उर्वरक या खादों के प्रयोग की निर्धारित मात्रा की जानकारी भी उपलब्ध करायी जाती है। खरीफ फसलों हेतु कृषि विभाग द्वारा किसान गोष्ठी,

मेला तथा कृषक–प्रशिक्षण के माध्यम से कृषि की नवीन तकनीकों के साथ–साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड का व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया है। मृदा नमूने का विश्लेषण निःशुल्क किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक लगभग 7 लाख मृदा नमूने एकत्र किये जा चुके हैं। इस कार्यक्रम से किसानों को खेतों में संतुलित मात्रा में विभिन्न तत्वों और खादों के प्रयोग तथा मिट्टी के उपचार की जानकारी मिलेगी जो उत्पादन में वृद्धि तथा कृषि लागत में कमी में सहायक सिद्ध होगी जिसका सीधा सम्बन्ध किसानों की आय वृद्धि से है।

प्रदेश के शहरी गरीबों को व्यापक स्तर पर आवास दिलाने का केन्द्र सरकार एवं हमारी सरकार का संकल्प है। इसके लिए ''प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन'' का लाभ लेते हुये प्रदेश सरकार तत्परता से कार्यवाही कर रही है। गत वर्षों में इस दिशा में अधिक ध्यान नहीं दिया गया। जबकि हमारा संकल्प है कि हम तत्काल दो लाख गरीबों को आवास दिलाने की कार्यवाही प्रारम्भ करें और वर्ष 2022 तक शहरों में रहने वाले सभी पात्र व्यक्तियों का निजी आवास हो जाये। इसके लिये राज्य सरकार ने आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करायी है। केन्द्र एवं राज्य सरकार के परस्पर सहयोग से यह कार्य सुगमता से सम्पादित होगा।

मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारी सरकार की पहल के फलस्वरूप पिछले कुछ समय में ही हम प्रदेश को वेंटीलेटर लगी हुई 150 लाईफ सपोर्ट एम्बुलेन्स उपलब्ध करवा चुके हैं और हर जनपद को ऐसी दो–दो लाईफ सपोर्ट एम्बुलेन्स दी जा चुकी हैं। ऐसी 100 एम्बुलेन्स और उपलब्ध कराये जाने के प्रयास जारी हैं। इससे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त होगी।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसके अतिरिक्त भी हमारी विशेष प्रतिबद्धता है। चाहे मस्तिष्क ज्वर हो या अन्य महामारी, उनके निराकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही हम स्वास्थ्य व चिकित्सा पर ध्यान देकर लोगों के जीवन में सुधार लायेंगे। यह लक्ष्य रखा गया है कि असेवित विकास खण्डों में चिकित्सालयों की स्थापना करायी जाए और ऐसे मण्डलों जिनमें मेडिकल कॉलेज नहीं हैं, में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करायी जाय।

मान्यवर,

मुझे यह बताते हुये हर्ष है कि 15 मई, 2017 तक माँ गंगा के किनारे 1 हजार 627 गाँवों को खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया है। 31 दिसम्बर, 2017 तक प्रदेश के 30 जनपदों को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2019 में गाँधी जी की जयन्ती के डेढ़ सौ वर्ष होने जा रहे हैं। हमारी सरकार का यह लक्ष्य है कि अगले वर्ष गाँधी जी की जयन्ती 02 अक्टूबर, 2018 तक उत्तर प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त कर दिया जाये। हमारी सरकार की सोच है कि इसमें जन सहभागिता सुनिश्चित कर लक्ष्य को प्राप्त किया जाये।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में 'इंसेफ्लाइटिस' (मस्तिष्क ज्वर) की बीमारी के पीछे एक प्रमुख कारण है 'गन्दगी'। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 38 जिले इस बीमारी से प्रभावित हैं, जिनमें से 7 जिलों में इस बीमारी का प्रकोप अत्यधिक है। इस बीमारी में उपचार से ज्यादा महत्वपूर्ण है– 'बचाव' और बचाव के लिये आवश्यक है 'स्वच्छता' जिसके लिये प्रभावकारी प्रयास किये जा रहे हैं। इन जनपदों में हमारी सरकार के पहले 100 दिनों में विशेष कैम्प लगाकर टीकाकरण अभियान चलाकर 88 लाख 62 हजार बच्चों को प्रतिरोधक टीका लगाया जा चुका है। इसी अवधि में प्रदेश

के विभिन्न जनपदो में 'पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य कैम्प' लगाकर 87 लाख बच्चों का टीकाकरण कराया गया।

'महिला सम्मान कोष' के अंतर्गत 'हेल्प डेस्क' की स्थापना की गई है, जिससे चिकित्सालयों में आनी वाली गरीब महिलाओं एवं बच्चों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध हो रही हैं।

चिकित्सकों की उपलब्धता बनाये रखने की दृष्टि से व्यापक जनहित में उनकी सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है तथा एक हजार चिकित्सकों के पदों को वॉक–इन इण्टरव्यू के माध्यम से भरा जायेगा।

गरीब जनता को जेनेरिक दवाइयाँ सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सकें, इसके लिए समस्त राजकीय चिकित्सालयों में जेनेरिक औषधियों की उपलब्धता हेतु 'प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र' की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार, समाज के अन्तिम सोपान पर खड़े व्यक्ति को तात्कालिक एवं गुणवत्तापरक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार द्वारा पूरे मनोयोग से सकारात्मक प्रयास किये जा रहे हैं।

सरकार में आते ही हमने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को 'स्वच्छता की शपथ' दिलाई । इसमें यह शपथ दिलाई गई कि प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने कार्यस्थल को स्वच्छ रखेगा, अपितु अपने घर, मोहल्ले को भी साफ रखेगा और प्रत्येक व्यक्ति 100 और व्यक्तियों को 'स्वच्छता की शपथ' दिलायेगा। हमारी सरकार का यह प्रयास रहेगा कि प्रदेश में स्वच्छता की सोच और संस्कृति विकसित हो।

हमारी सरकार ने महापुरूषों के सम्मान के साथ–साथ उत्तर प्रदेश में कार्य संस्कृति को बढ़ावा देते हुए एक अति

महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पिछली सरकारों ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से विभिन्न महापुरूषों के नाम में अनेक छुट्टियाँ घोषित कीं। हमारी सरकार ने ऐसी 15 छुट्टियों के स्वरूप को बदलकर उनको निर्बन्धित अवकाश की श्रेणी में स्थापित किया और यह निर्देश दिये गये कि इन महापुरूषों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किये जायें तथा स्कूली छात्र–छात्राओं तथा अन्य लोगों को महापुरूषों के बारे में जानकारी दी जाये। इससे सभी को प्रेरणा मिलेगी तथा कार्य संस्कृति का विकास होगा।

मान्यवर, अब तक प्रदेश में नेताओं, अभिनेताओं आदि के नाम पर विद्यालयों आदि का नामकरण किये जाने की परम्परा रही है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्णय लिया है कि सीमा पर शहीद होने वाले जवानों के नाम पर विद्यालयों, चिकित्सालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आदि का नामकरण किया जाए ताकि उन शहीदों के नाम हमारी दृष्टि को नित पावन करते रहें तथा हमारे युवाओं के हृदय में देशभक्ति, निःस्वार्थ निष्ठा और अदम्य साहस का संचरण करते रहें।

उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार कानून का राज स्थापित करने तथा सुशासन एवं जन सहभागिता के माध्यम से तीव्र एवं संतुलित विकास की नींव रखने हेतु कृतसंकल्प है। इस क्रम में हमारा युवाओं पर विशेष ध्यान रहेगा। हम सभी मामलों में अपनी पार्टी के 'लोक कल्याण संकल्प पत्र– 2017' के अनुरूप बिना किसी भेदभाव के एवं पारदर्शी तरीके से प्रदेश के युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं।

प्रदेश में पूर्व में व्याप्त हुए अवैध खनन सम्बन्धी भ्रष्टाचार से सभी परिचित हैं। इससे प्रदेश सरकार को बहुत अधिक

आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ी। अवैध खनन परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण करते हुए खनन प्रक्रिया में सरलीकरण, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा एवं राजस्व वृद्धि हेतु 'उत्तर प्रदेश खनन नीति–2017' लागू की गयी। इस नीति के अन्तर्गत खनिजों के परिहार की स्वीकृति हेतु ई–टेण्डर, ई–नीलामी तथा ई–बिडिंग प्रणाली लागू की गयी है। खनन संक्रिया से प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के विकास एवं सुविधाओं हेतु 'जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास नियमावली–2017' प्रख्यापित की गई है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) के साथ–साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रदेश सरकार को अवैध बूचड़खानों के मुद्दे को लेकर एक निर्देश जारी किया। हमारी सरकार द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय और एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश के क्रम में निर्धारित मानकों का पालन पूरी सख्ती से करवाया गया। इस प्रकरण को लेकर प्रदेश में अशान्ति फैलाने का प्रयास भी किया गया, परन्तु हम सभी पक्षों को यह समझाने में सफल रहे कि इन मानकों का पालन करना पूरे समाज के व्यापक हित में है और इस बात को सभी ने माना एवं सहयोग भी प्रदान किया। इससे हमारी पर्यावरण तथा समाज के प्रति प्रतिबद्धता भी दृष्टिगोचर होती है।

प्रदेश में उपलब्ध विपुल वन सम्पदा एवं विविध वन्य जीवों को संरक्षित एवं संवर्धित करते हुए इको–टूरिज्म को हमारी सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जायेगा। कुकरैल अभयारण्य, सोगीबरवा अभयारण्य, नवाबगंज पक्षी विहार, दुधवा नेशनल पार्क एवं चम्बल अभयारण्य आदि वन्य जीव विहारों में पर्यटकों को आकर्षित किये जाने हेतु आधुनिक पर्यटन अवस्थापना सुविधा, इको–टूरिज्म ट्रेल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जायेगा। इससे जहां प्रदेश में इको–टूरिज्म तथा एडवेन्चर–

टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और देशी–विदेशी पर्यटकों के आवागमन में वृद्धि होगी वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और क्षेत्र का आर्थिक–सामाजिक विकास होगा।

सरकार द्वारा पहली बार शासकीय, ग्राम पंचायत व निजी व्यक्तियों की भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराकर दोषियों के विरूद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु 'एन्टी भू–माफिया टास्क फोर्स' का गठन किया गया है तथा 'एन्टी भू–माफिया पोर्टल' स्थापित किया गया है। हमारी सरकार के पहले 100 दिनों के कार्यकाल में लगभग 5 हजार 895 हेक्टेयर अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराया जा चुका है। इसी अवधि में जन सामान्य की सुविधा हेतु 94 चकबंदी न्यायालयों में 'कम्प्यूटरीकरण प्रबंधन प्रणाली' विकसित कर ली गयी है।

प्रदेश में अपराधमुक्त, अन्यायमुक्त एवं भयमुक्त वातावरण उत्पन्न कर कानून का राज स्थापित करने के लिए सरकार कृतसंकल्प है। थानों में आने वाले फरियादियों के साथ शिष्टता, उनकी समस्याओं पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करने एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट का शत–प्रतिशत पंजीकरण करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रदेश के प्रत्येक जिले में 'एन्टी–रोमियो स्क्वॉयड' गठित कर महिलाओं की सुरक्षा सुदृढ़ की गई।

महिलाओं की सुरक्षा हेतु '181– महिला हेल्पलाइन, उत्तर प्रदेश' के 06 सीटर कॉल सेन्टर को 30 सीटर कॉल सेन्टर में विस्तारित कर दिया गया है। 'महिला सशक्तीकरण मिशन' के अन्तर्गत प्रदेश के अवशेष 64 जनपदों में 'रेस्क्यू वैन' उपलब्ध कराने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। उक्त वैन सेवा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जी0पी0एस0) से लैस तथा

181–महिला हेल्पलाइन से जुड़ी रहेगी, जिससे किसी भी महिला के उत्पीड़न, आपदा की दशा में 181 डायल किये जाने पर तत्काल सहायता पहुँचेगी।

कृषकों को गेहूँ खरीद केन्द्रों पर छनाई–सफाई–उतराई के व्यय भार के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त मण्डी समिति द्वारा दी जा रही सहायता को तीन रूपये प्रति कुन्तल से बढ़ाकर 10 रूपये प्रति कुन्तल की दर से भुगतान किया गया है। रबी विपणन वर्ष 2017–2018 में 'मूल्य समर्थन योजना' के अन्तर्गत 36.99 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीद की गयी है, जो कि गत वर्ष की कुल खरीद 7.97 लाख मीट्रिक टन से लगभग 4.5 गुना अधिक है। कृषकों को 5 हजार 925 करोड़ रूपये का भुगतान 'आर0टी0जी0एस0' के माध्यम से अविलम्ब किया गया। पं0 दीन दयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में वर्ष 2017 को ''गरीब कल्याण वर्ष'' के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

सरकार द्वारा गन्ना किसानों को 22 हजार 682 करोड़ रूपये का भुगतान सुनिश्चित कराया गया जो गत वर्ष के सापेक्ष 9 हजार 440 करोड़ रूपये अधिक है। गन्ना किसानों की शिकायत निवारण हेतु विभागीय टोल फ्री नम्बर 1800–121–3203 जारी किया गया है। प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को 'गन्ना किसान दिवस' का आयोजन शुरू किया गया है, जिसमें किसानों की समस्याओं का स्थानीय एवं त्वरित निदान कराया जा रहा है। निःशुल्क 'गन्ना शोध सूचना प्रणाली' शुरू कराई गई है जिसके माध्यम से प्रथम चरण में प्रदेश के लगभग 60 हजार गन्ना किसानों को एस0 एम0 एस0 भेजे जा रहे हैं। ''गन्ना विभाग किसान के द्वार, तुरन्त सदस्यता पहली बार'' के स्लोगन के साथ घर बैठे गन्ना समिति का सदस्य

बनाया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत 15 हजार 176 किसानों को गन्ना समिति की सदस्यता दी गयी है। गन्ना विकास विभाग द्वारा पूर्व निर्मित 534 किलो मीटर सम्पर्क मार्गों को 30 जून, 2017 तक गड्ढामुक्त किया गया।

निगम क्षेत्र की 2 बंद पड़ी चीनी मिलों, गोरखपुर में पिपराईच एवं बस्ती में मुण्डेरवा चीनी मिलों को पुनर्संचालित करने का निर्णय लिया गया। निगम क्षेत्र की मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल के क्षमता विस्तारीकरण एवं कोजेन की स्थापना हेतु 73 करोड़ 96 लाख रूपये का ऋण स्वीकृत कराया गया। सहकारी क्षेत्र की 23 चीनी मिलों के अपग्रेडेशन हेतु तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है।

बागवानी फसलों के उत्पादन से विपणन तक के सम्बन्ध में लगभग 12 हजार किसानों को 23 जनपद स्तरीय गोष्ठियों का आयोजन कराकर प्रशिक्षण दिया गया। प्रदेश के चयनित 23 जनपदों में टिश्यू कल्चर केला उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु लाभार्थियों के चयन की कार्यवाही पूर्ण की गयी। इस वर्ष निजी शीतगृहों में रिकार्ड 1 करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन आलू भंडारित किया गया। प्रदेश में पहली बार किसानों का 12 हजार 938 कुन्तल आलू क्रय किया गया, जो अब तक का सर्वाधिक है।

प्रदेश में भूजल संसाधनों की विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत भूगर्भ जल विभाग द्वारा ''राज्य भूजल संरक्षण मिशन'' संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु प्रदेश के समस्याग्रस्त कुल 271 विकास खण्डों एवं 22 शहरों का चयन किया गया है। भूजल संरक्षण में जन सहभागिता के लिए जनपद स्तर पर 'भूजल सेना' और ग्राम्य स्तर पर 'पानी

पंचायत' का गठन किया जा रहा है जिसके क्रम में 10 भूजल सेना तथा 70 पानी पंचायतों का गठन किया जा चुका है।

सभी विभागों में क्रय और ठेके दिये जाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाये जाने हेतु 'ई–टेण्डरिंग' व्यवस्था लागू कर दी गई है।

लोक निर्माण विभाग में गुण्डा, माफिया तत्वों, आपराधिक छवि वाले ठेकेदारों को पूरी तरह से टेण्डर प्रक्रिया से बाहर करने का राज्य सरकार का निर्णय क्रियान्वित किया जा रहा है। विभाग में टेंडर प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से 'ई–टेंडरिंग' की व्यवस्था लागू की गयी है। सामान्य जनता की सुविधा के लिए लोक निर्माण विभाग की एक हेल्पलाईन नम्बर–1800–121–5707 प्रारम्भ की गयी है।

राज्य सरकार ने ''एशियन विकास बैंक'' के साथ जिलों से जुड़ी सड़कों को सुधारने हेतु 2 हजार 782 करोड़ की राशि हेतु अनुबंध किया है। इसमें एशियन विकास बैंक से परियोजना का 70 प्रतिशत हिस्सा कर्ज के रूप में राज्य सरकार को मिलेगा।

सौर ऊर्जा आधारित 95 मेगावाट की विद्युत परियोजनायें अधिष्ठापित की गईं। कुल 3.26 मेगावाट रूफटॉप ग्रिड संयोजित सोलर पॉवर प्लाण्टों की अधिष्ठापना करायी गई। प्रदेश सरकार के 'पॉवर फॉर ऑल मिशन' की पूर्ति के दृष्टिगत 'नवीन सोलर पॉवर पालिसी– 2017' का ड्राफ्ट तैयार किया गया है।

प्रदेश में कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु 39 असेवित तहसीलों में एक–एक कौशल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर

सुलभ होंगे। स्वच्छता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए शिक्षण संस्थानों के कैम्पस एवं कार्यालयों में स्वच्छता शपथ दिलवाई गई। सभी राजकीय विद्यालयों में बालिकाओं को 'रानी लक्ष्मीबाई बालिका आत्मरक्षा कार्यक्रम' के अन्तर्गत जूडो प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम हेतु चरणबद्ध रूप से कुपोषण मुक्त गाँव बनाये जाने हैं। इस हेतु 'राज्य पोषण मिशन' द्वारा स्वास्थ्य, बाल विकास एवं पुष्टाहार, पंचायतीराज, ग्राम्य विकास एवं बेसिक शिक्षा विभाग के सहयोग से कुपोषण की रोकथाम हेतु चलायी जा रही योजनाओं को समन्वित और प्रभावी क्रियान्वयन कराते हुए मातृ–शिशु एवं बाल मृत्यु दर और मातृ–बाल कुपोषण में कमी लायी जायेगी।

विभाग में 'टेक होम राशन' के वितरण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए स्टाक का सत्यापन एवं वितरण व्यवस्था सम्बन्धी शासनादेश निर्गत कर दिया गया है। प्रत्येक स्तर पर 'टेक होम राशन' के स्टॉक सत्यापन एवं स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारण की व्यवस्था की गयी है। इससे वितरण व्यवस्था सुदृढ़ एवं पारदर्शी होगी।

अनुपूरक पोषाहार के वितरण हेतु प्रत्येक माह की 5 तारीख को 'बचपन दिवस', 15 तारीख को 'लाडली दिवस' तथा 25 तारीख को 'ममता दिवस' के रूप में मनाया जाय, की नई योजना प्रारम्भ की जा रही है। बाल विकास एवं पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम बार समस्त डाटा के कम्प्यूटराईजेशन का कार्य एन0 आई0 सी0 द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है। कुपोषण को दूर किये जाने में सहायता हेतु नयी योजना 'शबरी संकल्प अभियान' की प्रारम्भिक रूपरेखा तैयार कर ली गयी है। इसके अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं तथा 5 वर्ष

तक के अति कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त पोषाहार दिया जायेगा।

गरीबों, वंचितों, महिलाओं और जरूरतमंदों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने के लिए 500 ''टेली लॉ सर्विस कॉमन सर्विस सेन्टर्स'' की स्थापना की जा रही है।

अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षण सुविधाओं के विकास के उद्देश्य से 6 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पूर्ण क्रियाशील किये गये हैं एवं 21 इण्टर कालेजों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं के सृजन हेतु 4 प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र तथा एक होम्योपैथिक चिकित्सालय का निर्माण आरम्भ कराया गया है। मदरसों के पाठ्य क्रम में पुनरीक्षण, परिवर्धन करके उनकी शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

परिवहन विभाग द्वारा 'ई–चालान' व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू किया गया है, जिससे मौके पर ही 'ई–पेमेंट' से जुर्माना जमा करने की सुविधा के साथ ही वाहन एवं चालक की फोटो भी साक्ष्य के रूप में ली जा सकेगी।

परिवहन निगम की बसों के यात्रियों से फीडबैक एवं जनता से सीधे संवाद हेतु ट्विटर एकाउंट, फेसबुक एकाउंट, वाट्सएप एवं टोल–फ्री हेल्पलाईन स्थापित की गई है, जिससे जनता को सीधे संवाद का लाभ प्राप्त होगा।

सरकार के द्वारा 100 दिनों के अन्दर उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के मध्य कई वर्षों से लम्बित पारस्परिक अनुबन्ध 13 जून, 2017 को हस्ताक्षरित किया गया जिससे साढ़े तीन करोड़ से अधिक यात्रियों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

उत्तर प्रदेश के तीव्र विकास के लिए यातायात सुविधा को सुगम, सुचारू एवं द्रुत गति प्रदान करना आवश्यक है। इसलिए हमारी सरकार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अनुरूप यातायात के विकास तथा आर्थिक गतिविधियों एवं पर्यटन के विकास के लिए उपयुक्त यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों को 4 लेन की सड़कों से जोड़ने की व्यापक कार्य योजना है। उक्त के अतिरिक्त, कई प्रमुख शहरों में मेट्रो सेवा प्रारम्भ की जायेगी तथा प्रदेश के कई शहरों में हवाई यातायात के लिए एयरपोर्ट विकसित किये जायेंगे। भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी योजना में आगरा–लखनऊ–वाराणसी एवं लखनऊ–इलाहाबाद–गोरखपुर को सम्मिलित कर सस्ती वायुसेवा प्रारम्भ की जायेगी। जनपद गौतम बुद्ध नगर के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान कर दी गयी है, जिससे प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ेगा। आगरा एयरपोर्ट का विकास एवं उच्चीकरण किया जायेगा जिससे आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हेलीकॉप्टर सेवा विस्तार की भी योजना है।

आप अवगत हैं कि वर्ष 2019 में प्रयाग में अर्द्धकुम्भ का आयोजन किया जा रहा है जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गयी हैं। अर्द्धकुम्भ जहां एक ओर आस्था, वैश्विक सभ्यता और संस्कृति का समागम है वहीं यह प्रदेश में राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अर्द्धकुम्भ माँ गंगा के पावन तट पर आयोजित होगा। गंगा केवल एक नदी नहीं है अपितु भारतीय संस्कृति के लिए प्राण और ऊर्जा का अजस्र स्रोत है। गंगा को स्वच्छ किया जाना केवल एक सरकारी कार्यक्रम न होकर भारतीय संस्कृति की प्राण रक्षा का

अनिवार्य उपक्रम है। आईये, हम सब मिलकर "नमामि गंगे" कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लें।

कैलाश मानसरोवर यात्रियों को अनुदान की राशि 50 हजार रूपये प्रति यात्री से बढ़ाकर एक लाख रूपये कर दी गयी है। जनपद गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन बनाने का निर्णय लिया गया। जनमानस की सुविधा हेतु धर्मार्थ कार्य की वेबसाइट का शुभारम्भ किया गया है। सिन्धु दर्शन का अनुदान वितरण 10 हजार रूपये प्रति यात्री किया गया है।

मथुरा–वृंदावन–बृज परिक्रमा क्षेत्र के सौंदर्यीकरण एवं पर्यटन सुविधाओं के विकास की वृहद् कार्ययोजना बनायी गयी है। अयोध्या में रामलीला का निर्बाध मंचन, सरयू नदी के जीर्ण–शीर्ण घाटों का पुनरूद्धार तथा सरयू जी की आरती किये जाने का निर्णय लिया गया है। चित्रकूट में सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करते हुये परिक्रमा पथ का पुनर्विकास तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा तथा भजन संध्या स्थल का निर्माण कराया जायेगा।

मान्यवर,

अब मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2017–2018 के बजट में सम्मिलित महत्वपूर्ण योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा सम्मानित सदन के समक्ष इन पंक्तियों के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ –

"मैं कतरा हो के भी तूफाँ से जंग लेता हूँ ,
मुझे बचाना समन्दर की जिम्मेवारी है।
दुआ करें सलामत रहे मेरी हिम्मत,
यह चराग कई आँधियों पे भारी है।"

किसानों और गाँवों के लिए

- प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों के फसली ऋण की राज्य सरकार द्वारा अदायगी किये जाने हेतु 36 हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था बजट में की गई है।
- हमारी सरकार ने अनुभव किया कि प्रदेश के आलू किसानों को उनकी लागत भी नहीं मिल पा रही थी । किसानों को आलू का उचित दाम दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रदेश में पहली बार आलू किसानों के लिए एक पैकेज लेकर आई । सरकार ने आलू किसानों से एक लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने का निर्णय लिया जिससे आलू के दाम में वृद्धि हुई जिसका लाभ आलू किसानों को मिला।
- हमारी सरकार ने पहले 100 दिनों के अन्दर गन्ना किसानों को 22 हजार 682 करोड़ रूपये का भुगतान सुनिश्चित कराया जो पिछले वर्ष इसी अवधि में गन्ना किसानों को किये गये 13 हजार 242 करोड़ रूपये से 9 हजार 440 करोड़ रूपये अधिक है।
- कृषि कार्य को समुचित किये जाने और लाभपरक बनाये जाने हेतु कृषि निवेशों के साथ–साथ खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य की जानकारी किसानों के पास होनी चाहिये। इसके लिये हमारी सरकार मृदा परीक्षण प्राथमिकता के आधार पर करवायेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर एवं जल भराव वाले क्षेत्रों को सुधारने, कृषि मजदूरों को आवंटित भूमि का उपचार कराने तथा उन्हें आजीविका उपलब्ध कराने हेतु 'पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना' हेतु बजट में 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- फसलों की उपज बढ़ाये जाने हेतु वर्मी कम्पोस्ट की उपलब्धता बढ़ाये जाने की योजना के लिये 19 करोड़ 56 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अतिदोहित, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों में सिंचाई हेतु किसानों को 'स्प्रिंकलर' उपलब्ध कराये जाने के लिये 10 करोड़ 41 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के कृषकों को सिंचाई हेतु पर्यावरण हितैषी एवं महँगे डीजल तथा विद्युत आपूर्ति की समस्या के निदान हेतु वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन के अन्तर्गत सोलर फोटोवोल्टइक इरीगेशन पम्प की स्थापना कृषकों के खेतों पर कराये जाने की योजना हेतु 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- गन्ना किसानों की उपज को बाजार तक सुगमता से पहुँचाने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सम्पर्क मार्गों के निर्माण के लिये 200 करोड़ रुपये तथा मार्गों के अनुरक्षण के लिये 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, फैजाबाद, मेरठ, बाँदा एवं इलाहाबाद में विभिन्न फसलों पर अनुसंधान हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश के बन्द सहकारी चीनी मिल पिपराईच के स्थान पर 3 हजार 500 "टन ऑफ केन पर डे" (टी0सी0डी0) क्षमता की नई चीनी मिल जिसे 5 हजार टी0सी0डी0 तक विस्तारित किया जा सकेगा एवं कोजनरेशन प्लाण्ट की स्थापना हेतु 273 करोड़ 75 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

- बन्द सहकारी चीनी मिल मुंडेरवा के स्थान पर 5 हजार टी0सी0डी0 क्षमता की नई चीनी मिल जिसे 7 हजार 500 टी0सी0डी0 तक विस्तारित किया जा सकेगा एवं कोजनरेशन प्लाण्ट तथा आसवनी की स्थापना हेतु 270 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- निर्माणाधीन सहकारी चीनी मिल सठियाँव को इस वर्ष पूर्ण किये जाने हेतु 33 करोड़ 35 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सहकारी चीनी मिल रमाला की पेराई क्षमता 2 हजार 750 टी0सी0डी0 को बढ़ाकर 5 हजार टी0सी0डी0 किये जाने हेतु 84 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- लघु एवं सीमांत किसानों की आय में वृद्धि हेतु संकर शाकभाजी का उत्पादन एवं प्रबन्धन प्रारम्भ किया जा रहा है जिसके लिये 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था रखी गई है।

अवस्थापना विकास

- प्रदेश के जनसाधारण को विश्वस्तरीय यातायात सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ में मेट्रो का कार्य द्रुत गति से चल रहा है तथा कानपुर, वाराणसी, आगरा एवं गोरखपुर शहरों में मेट्रो रेल योजना प्रस्तावित है। प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिये 288 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।
- नोएडा में कालिन्दी कुंज से बोटेनिकल गार्डेन तक मेट्रो विस्तार परियोजना का कामर्शियल संचालन प्रारम्भ किया जायेगा।
- मार्गों के चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण हेतु 598 करोड़ 65 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़े जाने एवं लघु सेतुओं हेतु 451 करोड़ 58 लाख रुपये के कार्य बजट में सम्मिलित किये गये हैं।

- जिला मुख्यालयों को 4 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु 71 करोड़ 21 लाख रुपये के कार्य बजट में सम्मिलित किये गये हैं।
- प्रदेश की सड़कों के अनुरक्षण एवं उन्हें गड्ढामुक्त किये जाने हेतु 3 हजार 972 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।
- 'उत्तर प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम' की स्थापना किये जाने हेतु 50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वांचल की विशेष योजनाओ हेतु 300 करोड़ रुपये तथा बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं हेतु 200 करोड़ रुपये की अवस्थापना विकास की नई योजनायें प्रस्तावित हैं।
- 'पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना' हेतु 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- 'मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना' के लिये 385 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- 'प्रधानमंत्री आवास योजना'– सबके के लिये आवास (शहरी मिशन) हेतु 3000 करोड़ रुपये के कार्य प्रस्तावित हैं।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास हेतु बुन्देलखण्ड क्षेत्र को दिल्ली से एक्सप्रेस–वे द्वारा जोड़े जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है।
- बुन्देलखण्ड स्थित कतिपय राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने का प्रस्ताव भी केन्द्र सरकार को प्रेषित किया गया है।
- दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन' हेतु 218 करोड़ 75 लाख रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- प्रदेश के सुदूर ग्रामों एवं मजरों में सामुदायिक पथ प्रकाश की 'पं0 दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना' हेतु 30 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के चिन्हित स्थलों पर हवाई पट्टियों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन हेतु 400 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- 'कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना' के अन्तर्गत कांजी हाउस/पशु शेल्टर होम्स की स्थापना हेतु 40 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- तीर्थ–सर्किट के अन्तर्गत वाराणसी, फैजाबाद, अयोध्या, नैमिषारण्य, चित्रकूट, विन्ध्यनगर, कुशीनगर, गोला गोकर्णनाथ, मथुरा, गोरखपुर व देवा शरीफ में बस स्टेशनों का उच्चीकरण तथा नव निर्माण कराया जायेगा।

उद्योग एवं रोजगार

- प्रदेश में उद्योगों की स्थापना एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिये हमारी सरकार द्वारा 'औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017' तैयार की गयी है जिसके क्रियान्वयन हेतु 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हेतु "विशेष निवेश बोर्ड" की स्थापना के लिये 5 करोड़ रुपये व्यवस्था प्रस्तावित है।
- "सिंगल विण्डो क्लियरेंस" की स्थापना के लिये 10 करोड़ रुपये व्यवस्था प्रस्तावित है।
- लखनऊ में इन्क्यूबेटर्स की स्थापना के लिये 5 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- पारम्परिक स्वरोजगारियों के सहायतार्थ प्रस्तावित 'विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना' हेतु 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के बेरोजगार कृषि स्नातकों तथा कृषि प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2017–2018 में प्रशिक्षित 'कृषि उद्यमी स्वावलम्बी योजना' के अर्न्तगत कृषि केन्द्रों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

छात्र–छात्राओं के लिये

- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग आवंटन हेतु रुपये 100 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को एक जोड़ी जूता, दो जोड़ी मोजा तथा एक स्वेटर उपलब्ध कराये जाने हेतु 300 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क यूनीफॉर्म एवं पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराये जाने हेतु 123 करोड़ 96 लाख रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सभी लड़कियों को 'अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना' के अन्तर्गत ग्रेजुएट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान किये जाने की योजना हेतु 21 करोड़ 12 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पिछड़े वर्ग के छात्र–छात्राओं की पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना हेतु 142 करोड़ रूपये की व्यवस्था तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा

शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं हेतु 1061 करोड़ 32 लाख रूपये की व्यवस्था की गयी है।

- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–छात्राओं की छात्रवृत्ति योजना एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना हेतु 941 करोड़ 83 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- समस्त राजकीय तथा अराजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में वाई–फाई सुविधा योजना हेतु 50 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित है।
- सभी राजकीय महाविद्यालयों में ''परमवीर चक्र'' विजेताओं के चित्र और उनका जीवन परिचय विद्यालयों की गैलरियों में लगाने के निर्देश दिये गये हैं, ताकि छात्र–छात्रायें उनकी शौर्य गाथाओं से परिचित हो सकें।

दुर्बल वर्ग के लिये

- 'मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना' के अन्तर्गत बीमा का आवरण अधिकतम 5 लाख रुपये किया गया है। योजना हेतु 692 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- 'आम आदमी बीमा योजना' हेतु 85 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदायों के निर्धन अभिभावकों की पुत्रियों के सामूहिक विवाह के लिये 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सरकार द्वारा एक 'नई फेरी नीति' ठेला, खोमचा, रेहड़ी और सड़क पर सब्जी बेचने वालों के व्यवस्थित पुनर्वास की दृष्टि से

लायी गयी है। इसके अन्तर्गत उनका रजिस्ट्रेशन किया जायेगा तथा उनका व्यवस्थित पुनर्वास कराया जायेगा।

हमारी सांस्कृतिक विरासत

हमारा प्रदेश प्राचीन संस्कृति का पोषक और वाहक रहा है। परन्तु हमारी युवा पीढ़ी हमारे सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों से शनैः शनैः दूर होती जा रही है। इसलिये हमारी सरकार ने सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के अनुरक्षण के साथ–साथ पर्यटन को बढ़ावा देने की कई योजनायें बनायी हैं।

- गोरखपुर में 'लोक मल्हार' तथा अयोध्या में 'सावन झूला' के विशिष्ट कार्यक्रमों के आयोजन किये जाने का संकल्प है।
- मथुरा में 'गीता शोध संस्थान' तथा 'कृष्ण संग्रहालय' की स्थापना के साथ ही 'पं0 दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी समारोह' के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में माहवार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।
- 'स्वदेश दर्शन योजना' के अंतर्गत अयोध्या, वाराणसी एवं मथुरा में रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट एवं कृष्ण सर्किट की योजनाओं के लिये 1240 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- 'प्रासाद योजना' के अंतर्गत अयोध्या, वाराणसी एवं मथुरा शहरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये 800 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना के लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अयोध्या में भजन संध्या स्थल का निर्माण व चित्रकूट में परिक्रमा पथ का पुनर्विकास एवं भजन संध्या स्थल का निर्माण कराया जायेगा। अयोध्या में सरयू घाट पर प्रतिदिन संध्या

आरती की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही अबाध रूप से रामलीला मंचन पुनः प्रारम्भ किया जा चुका है।

- प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को जोड़ने हेतु हेलीकॉप्टर सेवा के संचालन के लिये 25 करोड़ रुपये, गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल में वॉटर स्पोर्ट्स के विकास हेतु 25 करोड़ रुपये, विंध्याचल के पर्यटन विकास हेतु 10 करोड़ रुपये, जनपद मथुरा में नगला–चन्द्रभान का ग्रामीण पर्यटन के अन्तर्गत पर्यटन विकास के लिये 5 करोड़ रुपये तथा रामायण कॉन्क्लेव के आयोजन हेतु 3 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन के निर्माण हेतु 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- इलाहाबाद में अर्द्धकुम्भ मेला, 2019 को आयोजित किये जाने हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे अर्द्धकुम्भ मेले का सफल आयोजन किया जा सकेगा।

मान्यवर,

अब मैं बजट में सम्मिलित विभागवार महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूँगा –

कानून व्यवस्था

प्रदेश में गुण्डों, माफियाओं, अपराधियों तथा अराजक तत्वों को प्रभावी ढंग से न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में लाकर कानून का राज स्थापित करने के लिये सरकार कृत संकल्पित है। इस संकल्प को मूर्तरूप प्रदान करने के लिये थानों की कार्य प्रणाली में आमूल–चूल बदलाव लाते हुये वहाँ पहुँचने वाले फरियादियों के साथ शिष्टतापूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करने तथा उनकी समस्याओं पर त्वरित एवं प्रभावी वैधानिक कार्यवाही करते हुये उनके द्वारा दी जाने वाली प्रथम

सूचनाओं का शत–प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसका अनुश्रवण पुलिस महानिदेशक से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारियों द्वारा नियमित एवं निरन्तर किया जा रहा है।

पुलिस की संगठनात्मक संरचना एवं पुलिसिंग प्रणाली में बदलाव लाते हुये जोन स्तर पर अपर पुलिस महानिदेशक तथा परिक्षेत्र स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों की तैनाती का निर्णय लिया गया है। इससे अपराधों पर नियंत्रण करने, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा जनसामान्य की समस्याओं के त्वरित समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान हेतु अनुभवी, परिपक्व एवं वरिष्ठ स्तरीय नेतृत्व प्राप्त होगा।

नारी शक्ति का सशक्तीकरण एवं उनके सम्मान की रक्षा सरकार का महत्वपूर्ण संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने के लिये प्रत्येक जनपद में महिला सम्मान प्रकोष्ठ स्थापित कर विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं, कामकाजी महिलाओं तथा बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर आने–जाने वाली महिलाओं को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है।

पुलिस बल के लिये आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धन हेतु समस्त सुविधाओं से सुसज्जित मानकीकृत थाना प्रशासनिक भवनों का निर्माण, विद्यमान थाना भवनों में प्राथमिकतापूर्वक आगन्तुक कक्षों का निर्माण एवं महिलाओं के लिये महिला बैरकों का निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है।

अधीनस्थ पुलिसकर्मियों की आवासीय समस्याओं के समाधान हेतु प्रत्येक जनपद में शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की कड़ी में प्रारम्भिक चरण में 800

आरक्षियों, मुख्य आरक्षियों तथा उपनिरीक्षकों एवं निरीक्षकों के लिये श्रेणी–ए एवं बी के लिये कुल 800 यूनिट्स के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

इस वर्ष लगभग 33 हजार 200 पुलिसकर्मियों, जिसमें 30 हजार पुलिस कांस्टेबल और 3 हजार 200 सब इंस्पेक्टर हैं, की भर्ती की जायेगी। आगामी पाँच वर्षों के अन्दर एक लाख पचास हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भर्ती की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे।

पुलिस को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय में जनपदस्तरीय कार्यालयों तथा सी0सी0टी0वी0 डाटा सेन्टर आदि की कनेक्टिविटी प्रदान किये जाने, पुलिस रिकार्ड का डिजिटाइजेशन किये जाने तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु उपकरणों का क्रय किया जायेगा।

कृषि

- वर्ष 2017–2018 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 567 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 11 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है।
- वर्ष 2017–2018 में 56 लाख कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य है, जिसमें खरीफ की फसलों हेतु 11 लाख कुन्तल एवं रबी की फसलों हेतु 45 लाख कुन्तल का वितरण किये जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2017–2018 में 42 प्रतिशत बीज प्रतिस्थापन दर प्राप्त करने का लक्ष्य है।
- पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना ('प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना') हेतु 450 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- सभी कृषकों को मृदा परीक्षण कार्ड दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है।
- 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' के अन्तर्गत मृदा में जीवांश कार्बन बढ़ाने हेतु वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना की योजना राज्य की प्राथमिकताओं में है जिसके लिये 19 करोड़ 56 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। उक्त के अतिरिक्त मृदा सर्वेक्षण एवं परीक्षण कार्यक्रम हेतु 261 करोड़ 66 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। वर्ष 2017–2018 में 88 लाख 82 हजार मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है।
- प्रदेश में तिलहनी फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्वि करने के उददे्श्य से 'नेशनल मिशन ऑन सीड एण्ड ऑयल पाम' क्रियान्वित किया जा रहा है।
- 'सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन' के अर्न्तगत लघु एवं सीमान्त कृषकों को किराये पर तथा अनुदान पर कृषि यन्त्र क्रय हेतु वर्ष 2017–2018 में 300 कस्टम हायरिंग केन्द्र तथा 582 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।
- 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' के अंतर्गत वर्ष 2017–2018 में 968 करोड़ 57 लाख रुपये का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।
- 'नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना' के अन्तर्गत वर्ष 2017–2018 में परम्परागत कृषि विकास योजना के द्वारा जैविक खेती का कार्यक्रम बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों सहित 30 जनपदों में क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान

- कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, फैजाबाद, मेरठ, बाँदा एवं इलाहाबाद में विभिन्न फसलों पर अनुसंधान हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कृषि विश्वविद्यालयों के संकायों एवं विभागों द्वारा विकसित नवीन कृषि तकनीकों को कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से कृषकों तक पहुँचाये जाने एवं उन्हें जागरूक बनाये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से 20 जनपदों में 20 नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित है।

ग्राम्य विकास

- सबके लिये रोजगार, आवास, सड़क एवं पेयजल उपलब्ध कराना वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिये अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं।
- आवासविहीन एवं कच्चे आवासों में निवास करने वाले परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 'प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)' हेतु 4 हजार 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- 'डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना' हेतु 213 करोड़ रूपये की व्यवस्था रखी गई है।
- बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल एवं विन्ध्य क्षेत्र में सतही जल आधारित ग्रामीण पेयजल योजना हेतु 2 हजार 800 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु एक हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- 'विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि' (विधायक निधि) योजना के क्रियान्वयन के लिये 7 सौ 62 करोड़ रूपये की धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है।

दुग्ध विकास

ग्रामीण क्षेत्र के गरीब कृषक, बेरोजगार, निर्बल वर्ग अनुसूचित जाति तथा जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध व्यवसाय के प्रति जागरूक करने हेतु दुग्ध संघों तथा समितियों का सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन एवं विस्तारीकरण योजना, कृषक प्रशिक्षण योजना तथा दुग्ध उत्पादन वृद्धि हेतु दुग्ध उत्पादकों तथा समितियों को 'तकनीकी निवेश कार्यक्रम' के माध्यम से पशु प्रजनन व स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

पी0सी0डी0एफ0 के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत प्रदेश में 10 डेयरी प्लाण्टों की स्थापना तथा 04 डेयरी प्लाण्टों के सुदृढ़ीकरण एवं अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं हेतु 134 करोड़ 10 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद कानपुर में निर्माणाधीन नवीन ग्रीन फील्ड मिल्क पाउडर प्लाण्ट को पूरा करने के लिए 35 करोड़ 70 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

दुग्ध संघों को सुदृढ़ तथा पुनर्जीवित किये जाने के लिये 57 करोड़ 25 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पशुपालन

पशुओं में त्वरित गति से नस्ल सुधार, पशुधन बीमा, पशुधन स्वास्थ्य रोग नियंत्रण, जर्जर पशु चिकित्सालयों का पुनर्निर्माण तथा

गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ–साथ गोवंशीय पशुओं की रक्षा हेतु व्यापक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

गौशालाओं में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये गौ सेवा आयोग को अनुदान हेतु 15 करोड़ 16 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मत्स्य

प्रदेश में तालाबों, पोखरों एवं झीलों के रूप में मत्स्य पालन योग्य पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध हैं, जिनको मत्स्य पालन के अन्तर्गत आच्छादित करते हुये प्रदेश के मत्स्य उत्पादन स्तर बढ़ाने के साथ–साथ रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित किये जायेंगे।

कृषि हेतु अनुपयुक्त 200 हेक्टेयर जलप्लावित भूमि को तालाब के रूप में विकसित कराकर मत्स्य पालन के अन्तर्गत आच्छादित कराया जायेगा।

मछुआ समुदाय एवं मत्स्य पालकों के सामाजिक संरक्षण हेतु 2 लाख समिति के सदस्यों को निःशुल्क प्रीमियम पर आधारित मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित कराया जायेगा।

सक्रिय मत्स्य पालकों के आवासविहीन 666 परिवारों को एक लाख 20 हजार रुपये प्रति आवास की दर से निःशुल्क आवास की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

पंचायतीराज

"स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना" के अंतर्गत स्वच्छ शौचालयों के निर्माण के लिये 3 हजार 255 करोड़ रूपये की व्यवस्था रखी गई है।

प्रदेश की प्रत्येक न्याय पंचायत में दो 'चन्द्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय' की स्थापना कराये जाने की योजना है जिसके लिये 20 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक विकास खण्ड की 3 ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किये जाने की 'मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना' चालू की जा रही है। इसके लिये 15 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

सड़क एवं सेतु

प्रदेश के ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता का कार्यक्रम है, जिसके लिये 451 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

मार्गों के चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण हेतु 598 करोड़ 65 लाख रूपये एवं जनपद मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़े जाने के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों को पूर्ण करने हेतु 71 करोड़ 21 लाख रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

'केन्द्रीय मार्ग निधि योजना' के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण हेतु 8 हजार करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

नेपाल राष्ट्र से जुड़ने वाले उत्तर प्रदेश के 7 जनपदों में निर्मित किये जाने वाले मार्गों हेतु 251 करोड़ 67 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित 'उत्तर प्रदेश कोर नेटवर्क परियोजना' के अन्तर्गत मार्ग निर्माण कार्यों हेतु 253 करोड़ रूपये तथा एशियन डेवलपमेण्ट बैंक की सहायता से मार्ग निर्माण हेतु 202 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर सेतुओं, रेल उपरिगामी तथा अधोगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 185 करोड़ 69 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

ऊर्जा

हमारी सरकार विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु दृढ़ता से संकल्पित है, प्रदेश की जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये तथा सुदूर इलाकों तक उपभोक्ताओं को विद्युत संयोजन उपलब्ध कराने, विशेषकर कृषकों को सिंचाई हेतु विद्युत की उपलब्धता तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के संकल्पों के साथ प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसी अनुक्रम में भारत सरकार के साथ 24X7 पॉवर फॉर आल का प्रपत्र एक अभिनव उपक्रम के रूप में दिनांक 14 अप्रैल, 2017 को हस्ताक्षरित किया गया है। प्रपत्र में प्रदेश की जनता को अक्टूबर, 2018 से 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति तथा प्रत्येक प्रदेशवासी को वर्ष 2019 तक विद्युत की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की योजना है।

प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में 18 घण्टे ग्रामीण क्षेत्र में, 20 घण्टे तहसील क्षेत्र एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा 24 घण्टे जनपद मुख्यालयों, शहरों एवं उद्योगों को विद्युत आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 330 से 340 मिलियन यूनिट की विद्युत आपूर्ति उपभोक्ताओं को की जा रही है, जो विगत वर्ष की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत अधिक है। इससे हमारी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति दिखती है।

प्रदेश में अभियान चलाकर ग्रामीण एवं शहरी उपभोक्ताओं को नये विद्युत संयोजन मीटर स्थापना के साथ किश्त में भुगतान के आधार पर निर्गत कराये जा रहे हैं। पुराने बकायों की वसूली हेतु

एकमुश्त समाधान योजना (सक्रिय), घरेलू कनेक्शनों एवं नलकूपों पर 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी की सुविधा के साथ प्रभावी की गयी है। विद्युत चोरी रोकने के अभिनव प्रयास में 'सर्वदा योजना' विद्युत संयोजन को नियमित किये जाने हेतु चलायी गयी है। इसी अनुक्रम में राज्य में 75 बिजली थाने स्थापित किये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है, जिससे विद्युत चोरी पर प्रभावी रोक लगेगी तथा विद्युत वितरण कम्पनियों को विद्युत मूल्य भी तद्नुसार प्राप्त होगा। यह विद्युत वितरण कंपनियों को स्वावलम्बी बनाने के लिये सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है।

सरकार द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु टोल फ्री नम्बर 1912 प्रभावी कराया गया है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिये पर्याप्त संख्या में उपभोक्ता सेवा केन्द्र स्थापित कर संचालित किये जा रहे हैं।

उपभोक्ताओं को खर्च की गयी विद्युत के लिये सही एवं शुद्ध भुगतान किये जाने को सुनिश्चित कराने के लिये समस्त अनमीटर्ड उपभोक्ताओं के परिसर में मीटर की स्थापना एक विशेष अभियान चलाकर करायी जा रही है।

कृषकों को प्राथमिकता प्रदान करते हुये सिंचाई की उचित एवं पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निजी नलकूपों के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया गया है। निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण ''आओ एवं पाओ'' की योजना के अन्तर्गत प्रभावी है, जिससे कृषकों को कोई प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ रही है।

हमारी सरकार के पहले 100 दिनों में ''पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना'' के अंतर्गत 18 हजार मजरों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया गया है।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत

प्रदेश में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की परियोजनायें स्थापित करने के लिये निजी क्षेत्र के उद्यमियों को अधिक से अधिक निवेश करने हेतु बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा नई 'सौर ऊर्जा नीति' लायी जायेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मार्ग प्रकाश की सुविधा हेतु सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्रों की स्थापना की योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसके लिये 30 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

आवास एवं नगर विकास

भू–सम्पदा सेक्टर के विनियमन एवं संवर्धन के लिये 'भू–सम्पदा नियामक प्राधिकरण' (रेरा) की स्थापना करते हुये इसे क्रियाशील किया जायेगा, ताकि भूखण्ड, अपार्टमेन्ट अथवा भवन का विक्रय दक्षतापूर्ण और पारदर्शी रीति से सुनिश्चित हो सके और भू–सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सम्भव हो सके।

प्रदेश सरकार द्वारा नागरिकों की सुविधाओं के लिये कई निर्णय लिये गये हैं। इनमें नगरों में स्थित सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाना, फेरी नीति लागू कराया जाना, 31 दिसम्बर, 2017 तक 30 जिलों के नगरीय क्षेत्रों को तथा समस्त नगरीय क्षेत्रों को 2 अक्टूबर, 2018 से पूर्व खुले में शौचरहित बनाया जाना उल्लेखनीय है।

"आगरा पेय जलापूर्ति परियोजना" के अंतर्गत 130 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन द्वारा 150 क्यूसेक कच्चा जल लाये जाने की योजना हेतु 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

"अटल मिशन फॉर रीज्यूवनेशेन एण्ड अर्बन ट्राँसफॉर्मेशन (अमृत)" योजना हेतु 2 हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 61 शहरों मे अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जायेगा।

"स्मार्ट सिटी मिशन" कार्यक्रम हेतु 1 हजार 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था है। स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 13 नगरों में आर्थिक विकास और बुनियादी ढाँचा प्रदान करते हुये नागरिकों के लिये बेहतर जीवन स्तर का वातावरण प्रदान किया जाना है। इसके तहत ई–गवर्नेन्स एण्ड सिटीजन सर्विसेज, वेस्ट मैनजमेन्ट, वॉटर मैनेजमेन्ट तथा अर्बन मोबिलिटी के माध्यम से नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाये जाने का लक्ष्य है। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर तथा आगरा में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कई परियोजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों से इलाहाबाद, अलीगढ़ और झाँसी को भी स्मार्ट सिटी घोषित किया गया । मेरठ, सहारनपुर, रामपुर, गाजियाबाद और रायबरेली को भी स्मार्ट सिटी बनाने के लिये गम्भीर प्रयास किये जा रहे हैं।

"स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना" हेतु एक हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश में जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रीन्यूअल मिशन कार्यक्रम के अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड गवर्नेन्स एवं अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम फॉर स्मॉल एण्ड मीडियम टाउन्स कार्यान्श में स्वीकृत सीवरेज, जलापूर्ति, ड्रेनेज, नगरीय परिवहन, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन कार्यों के लिये 85 करोड़ 74 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण– नमामि गंगे' के अन्तर्गत 240 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश की नदियों को प्रदूषण मुक्त किये जाने के उद्देश्य से क्रियान्वित 'नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम' के अन्तर्गत प्रदेश की

नदियों गंगा, यमुना तथा गोमती के तटों पर स्थित नगरों में नदी प्रदूषण मुक्ति के कार्य कराये जा रहे हैं। इस हेतु 15 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

'झील संरक्षण योजना' के अन्तर्गत प्रदेश की झीलों तथा तालों के संरक्षण की योजना हेतु 70 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

'डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना' हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मथुरा–वृंदावन व अयोध्या नगर निगमों का गठन हमारी सरकार द्वारा नागरिकों को बेहतर सुविधायें दिलाने के लिए किया गया है।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन

'प्रधानमंत्री आवास योजना– सबके लिये आवास (शहरी) मिशन' योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–2018 में आवास निर्माण हेतु 3 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में प्रदेश सरकार द्वारा ''मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना'' आरम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत शहरों की मलिन बस्तियों के साथ–साथ शहर के ऐसे अल्प विकसित क्षेत्रों, जहाँ पर अवस्थापना सुविधाओं का अभाव है, में सी0सी0 रोड, इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण किया जायेगा तथा मार्ग प्रकाश व्यवस्था एवं पेयजल की सुविधा व अन्य अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी जिसके लिये 385 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सिंचाई

किसान और गरीब जनता का विकास इस सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार कृषकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है एवं उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु तत्परता से कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 240 लाख हेक्टेयर है। प्रदेश का लगभग 74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, जो देश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 346 लाख हेक्टेयर का लगभग 21 प्रतिशत है। आगामी 5 वर्षों में लगभग तीन लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को तटबन्ध निर्माण एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य कराकर सुरक्षित किया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में प्रदेश में 33 हजार 375 राजकीय नलकूपों एवं 250 लघुडाल नहरों, 28 वृहद एवं मध्यम पम्प नहरों से कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

'राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना' के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 110 राजकीय नलकूपों का निर्माण आगामी 2 वर्षों में कराया जायेगा।

'राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण की परियोजना' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–2018 में 205 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण कराया जायेगा।

बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी कार्यों हेतु 647 करोड़ 30 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

'केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना' पर काम प्राथमिकता से शुरू किया जायेगा।

लघु सिंचाई

वर्तमान में प्रदेश का लगभग 78 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र निजी लघु सिंचाई साधनों से सिंचित है।

'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' के अन्तर्गत "पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना" हेतु 112 करोड़ 67 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

'नेशनल ग्राउण्ड वाटर मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट स्कीम' के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड के 6 जनपदों – महोबा, बाँदा, हमीरपुर, चित्रकूट, झाँसी एवं ललितपुर तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 जनपदों – मेरठ, बागपत, शामली एवं मुजफ्फरनगर के कुल 26 अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकास खण्डों में भूजल प्रबन्धन के कार्य प्रस्तावित हैं।

औद्योगिक विकास

हमारी सरकार के सामने चुनौती यह है कि किस प्रकार पिछले वर्षों में व्याप्त हुई औद्योगिक शिथिलता से निजात पायी जाये। इस ओर हमारा विशेष ध्यान है। विगत तीन माह में सैमसंग मोबाइल कम्पनी द्वारा सुपर मेगा श्रेणी के अन्तर्गत लगभग 4 हजार 800 करोड़ रूपये के निजी निवेश का प्रस्ताव तथा इंटेक्स द्वारा मेगा श्रेणी के अन्तर्गत 372 करोड़ रूपये का निवेश स्वीकृत किया गया है।

प्रदेश की सीमा से गुजरने वाले इस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर, अमृतसर–कोलकाता इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर तथा दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर के दोनों ओर इन्टीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर एवं औद्योगिक सुविधाओं का विकास किया जायेगा।

प्रदेश में राजमार्गों एवं एक्सप्रेस–वे के नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा तथा कच्चे एवं तैयार माल के शीघ्र परिवहन हेतु ड्राईपोर्ट एवं लॉजिस्टिक्स हब की स्थापना की जायेगी।

आगरा–लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस–वे (ग्रीनफील्ड) परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराया जायेगा। लखनऊ से बलिया तक प्रस्तावित पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि का क्रय एवं अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है।

गोरखपुर टेराकोटा क्लस्टर का अध्ययन कराकर उनके संवर्द्धन हेतु कन्सलटेंट द्वारा परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

हथकरघा उद्योग कृषि क्षेत्र के बाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेन्द्रीकृत कुटीर उद्योग है। प्रदेश में लगभग दो लाख उनसठ हजार हथकरघा बुनकर एवं लगभग एक लाख दस हजार हथकरघा हैं।

वित्तीय वर्ष 2017–2018 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 25 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य है।

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य

ग्रामीण अंचलों में अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ–साथ इसमें गुणवत्तापरक व पारदर्शिता सुनिश्चित किया जाना भी हमारी प्राथमिकता है।

100 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 85 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। जिन मण्डल मुख्यालयों पर मेडिकल कॉलेज उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ पर 300 शैय्या संयुक्त

चिकित्सालय प्रस्तावित हैं, यथा– बरेली, मुरादाबाद एवं देवीपाटन। इस हेतु 33 करोड़ 25 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

ग्रामीण क्षेत्रों में 50 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में 50 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों के लिये 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था है।

सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु क्रमशः 49 करोड़ 75 लाख रूपये एव 85 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों की असाध्य बीमारी के उपचार हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने की योजना हेतु 150 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

जिला संयुक्त चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु 125 करोड़ रूपये प्रस्तावित है।

डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ परिसर के विस्तार हेतु 19 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

वर्तमान सरकार के 'लोक कल्याण संकल्प पत्र–2017' में सम्मिलित संकल्प की पूर्ति हेतु रोगी तक 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुँचाये जाने हेतु 108 एम्बुलेंस के औसत को डेढ़ लाख जनसंख्या से घटाकर एक लाख जनसंख्या पर किये जाने हेतु 712 अतिरिक्त एम्बुलेंसों को सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

चालू वित्तीय वर्ष में अवशेष जनपदों में कुष्ठ रोग के उन्मूलन का स्तर प्राप्त करने के प्रयास किये जायेंगे। साथ ही, कुष्ठ प्रभावित विकलांगता से ग्रसित रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी कराने वाले व्यक्ति को 8 हजार रूपये मानदेय दिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार आयुष चिकित्सा पद्धति के द्वारा प्रदेश की ग्रामीण एवं शहरी जनता को आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी विधा के माध्यम से दुष्प्रभाव रहित चिकित्सा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से इस पद्धति को और अधिक सुलभ एवं जनोपयोगी बनाने हेतु प्रतिबद्ध है।

प्रदेश के छः जनपदों – लखनऊ, कानपुर, बरेली, बस्ती, कुशीनगर एवं वाराणसी में 'राष्ट्रीय आयुष मिशन' के अन्तर्गत 50 एकीकृत आयुष चिकित्सालयों तथा जिला स्तर पर 16 आयुर्वेदिक कार्यालयों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 50 चिकित्सालयों की स्थापना का लक्ष्य है।

बेसिक शिक्षा

वर्ष 2017–2018 में 'सर्व शिक्षा अभियान' के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र–छात्राओं को पाठ्य–पुस्तकें एवं यूनीफार्म के दो सेट निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।

'सर्व शिक्षा अभियान' हेतु 19 हजार 444 करोड़ 35 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मध्याहन भोजन कार्यक्रम हेतु 2 हजार 54 करोड़ 74 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

माध्यमिक शिक्षा

'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' हेतु 551 करोड़ 93 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

166 पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल विद्यालयों के संचालन हेतु 25 करोड़ रूपये धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उच्च शिक्षा

राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' अन्तर्गत आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु 191 करोड़ 27 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित है।

प्रदेश के सभी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में मुफ्त वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु 50 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।

राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु 15 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

प्रदेश में नव स्थापित जननायक चन्द्रशेखर राज्य विश्वविद्यालय, बलिया हेतु 5 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 'पं0 दीन दयाल उपाध्याय शोध पीठ' की स्थापना के लिये 9 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में 'भाऊराव देवरस शोध पीठ' की स्थापना हेतु 2 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित है।

महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान किये जाने की पारदर्शी ऑन लाइन व्यवस्था हेतु सॉफ्टवेयर विकसित किये जाने एवं अन्य कार्यों के लिये 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्राविधिक शिक्षा

जनपद सोनभद्र में स्थापित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का संचालन कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुलतानपुर तथा जनपद कन्नौज एवं मैनपुरी में स्थापित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों का संचालन हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में हो रहा

है। शैक्षिक सत्र 2017–2018 में इन तीनों इंजीनियरिंग कॉलेजों का संचालन उनके नवनिर्मित कैम्पसों में प्रारम्भ कराया जा रहा है। इन सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के अवशेष निर्माण कार्यों के लिए 27 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

जनपद प्रतापगढ़ में एक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए 4 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के निर्माण कार्यों के लिए 10 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

जनपद बस्ती एवं गोण्डा में एक–एक इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिनके अवशेष निर्माण कार्यों के लिये 14 करोड़ 52 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

जनपद मिर्जापुर में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज निर्माण हेतु 8 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

व्यवसायिक शिक्षा

'लोक कल्याण संकल्प पत्र– 2017' में प्रदेश के प्रत्येक घर के सदस्य को निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने का संकल्प लिया गया है। साथ ही साथ सरकार ने युवाओं को अगले 5 वर्षो में 70 लाख रोजगार एवं स्व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा है। उक्त संकल्प तथा लक्ष्यों को फलीभूत करने हेतु सरकार संकल्पित है।

प्रदेश के समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिये अपने निजी भवन निर्मित किये जायेंगे तथा निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण कराया जायेगा।

प्रदेश में 'कौशल विकास मिशन' के माध्यम से कम अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निःशुल्क संचालित कर अधिक से अधिक युवाओं को रोजगारपरक कौशलों में प्रशिक्षित किया जायेगा।

प्रदेश में प्रशिक्षण के अवसर बढ़ाने के लिये असेवित क्षेत्रों में सरकारी या निजी क्षेत्र से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जायेगी।

'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' को संचालित कर अधिक से अधिक युवाओं के कौशल का विकास कराया जायेगा।

महिला एवं बाल कल्याण

'महिला विकास एवं मातृत्व लाभ कार्यक्रम' के लिये 100 करोड़ रुपये तथा 'शबरी संकल्प अभियान' के लिये 262 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश के 19 जनपदों के सभी विकास खण्डों में वर्ष 2017–2018 में ग्रामीण स्तर पर महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान एवं सशक्तीकरण योजनाओं की जानकारी पहुँचाने के लिये 'महिला एवं बाल विकास अधिकार मंच' की स्थापना की गयी है।

निराश्रित महिला भरण–पोषण अनुदान की योजना हेतु 1 हजार 129 करोड़ 78 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

महिलाओं की सहायता हेतु '181 महिला हेल्प लाइन' का विस्तार किया गया है ।

हेल्प डेस्क योजना के अन्तर्गत के.जी.एम.यू., राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जनपद मेरठ, अलीगढ़, गोरखपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, झाँसी एवं आगरा हेल्प डेस्क की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत गरीब महिलाओं एवं बच्चों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराया जाना एवं 'उत्तर प्रदेश रानी

लक्ष्मीबाई महिला तथा बाल सम्मान कोष' से सहायता उपलब्ध कराना एवं मार्गदर्शन दिया जाना है।

अल्पसंख्यक कल्याण

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु 791 करोड़ 83 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–छात्राओं की फीस प्रतिपूर्ति योजना हेतु 150 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मान्यता प्राप्त मदरसों तथा मकतबों में धार्मिक शिक्षा के साथ–साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा की सुविधा प्रदान किये जाने की योजना के लिये 394 करोड़ रूपये की व्यवस्था है।

अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास के लिये अल्पसंख्यक सघन आबादी वाले क्षेत्रों में महिला छात्रावास की योजना हेतु 18 करोड़ 41 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

'मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट प्लान' के अंतर्गत जनपदों में अल्पसंख्यक समुदाय के चहुमुँखी विकास एवं राष्ट्र की मुख्य धारा में लाये जाने के उद्देश्य से और अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में मौजूद क्रिटिकल गैप्स को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त योजना के अन्तर्गत मूलभूत सुविधाओं यथा–पक्के आवास की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, घरों में शौचालयों की व्यवस्था इत्यादि भी शामिल है। इस हेतु 340 करोड़ रूपये 90 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

पिछड़े वर्ग के गरीब छात्र–छात्राओं को आवासीय सुविधा देने हेतु छात्रावास निर्माण योजना हेतु 52 करोड़ 66 लाख रूपये की व्यवस्था की गयी है।

पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को 'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना हेतु 11 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है।

पिछड़े वर्ग के छात्र–छात्राओं की फीस प्रतिपूर्ति योजना हेतु 551 करोड़ 28 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

दिव्यांग कल्याण

सुगम्य भारत अभियान योजना' के अन्तर्गत सरकारी कार्यालयों एवं जन उपयोगी भवनों को चिन्हित कर दिव्यांगजन हेतु बाधारहित बनाये जाने की योजना के लिये 60 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

दिव्यांग पेंशन की राशि 300 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रूपये प्रतिमाह किये जाने का निर्णय लिया गया है । योजना हेतु 559 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण कार्यों हेतु 18 करोड़ 40 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

दिव्यांगजन हेतु हेल्प लाइन नम्बर 1800 180 1995 क्रियाशील कर दिया गया है।

खाद्य तथा रसद

प्रदेश में राशन कार्ड में दर्ज यूनिट की आधार सीडिंग कराये जाने की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, ताकि राशन कार्ड का

दुरूपयोग न हो सके और पात्र व्यक्तियों को समुचित लाभ मिल सके। इस हेतु 76 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

रबी विपणन वर्ष 2017–2018 में भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 1625 रूपये प्रति कुन्तल की दर से अब तक 36.99 लाख मीट्रिक टन गेहूँ क्रय किया गया जो कि गत पूरे वर्ष में की गयी खरीद 7.97 लाख मीट्रिक टन के सापेक्ष 4.5 गुने से भी अधिक है। 8 लाख 646 किसानों को गेहूँ क्रय के सापेक्ष 5 हजार 925 करोड़ रूपये का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया गया ।

न्याय

उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के नवीन भवन में अतिरिक्त कार्यों हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश के नवसृजित जनपदों एवं नव सृजित न्यायालयों में न्याय विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में सोलर पॉवर सिस्टम की स्थापना के लिये 20 करोड़ रुपये तथा सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिये 20 करोड़ रुपये, सुरक्षा व्यवस्था हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरा की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था, निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु स्वतंत्र फीडर की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मध्यस्थों को मानदेय भुगतान हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

राजस्व

प्रदेश में आपदा राहत के लिये 'राज्य आपदा मोचक निधि' में 744 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

'तालाब विकास प्राधिकरण' के गठन हेतु 50 लाख़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश के मण्डल, जनपद, तहसीलों के अनावासीय भवनों के निर्माण, पुनर्निर्माण, सुदृढ़ीकरण एवं भूमि क्रय के लिये 205 करोड़ 13 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश के मण्डल, जनपद, तहसीलों के आवासीय भवनों के निर्माण, पुनर्निर्माण, सुदृढ़ीकरण एवं भूमि क्रय के लिये 95 करोड़ 80 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश के मण्डलायुक्त कार्यालयों, जनपद कार्यालयों एवं तहसील कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बायोमीट्रिक सिस्टम स्थापित किये जाने हेतु 1 करोड़ 37 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

वन एवं पर्यावरण

उत्तर प्रदेश में जैव विविधता एवं प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल दो लाख चालीस हजार नौ सौ अट्ठाइस वर्ग किलोमीटर है तथा इसका 8 दशमलव 93 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित अथवा वृक्षाच्छादित है। वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण तथा संवर्द्धन हेतु हमारी सरकार कृत संकल्पित है। हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण को आगामी वर्षों में 15 प्रतिशत तक लाया जाए।

वर्ष 2017 के वर्षाकाल में वन विभाग द्वारा 4 करोड़ 30 लाख पौधों तथा अन्य विभागों द्वारा 2 करोड़ 24 लाख, इस प्रकार कुल

6 करोड़ 54 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। दिनांक 01 जुलाई, 2017 से 07 जुलाई, 2017 तक वन महोत्सव, 2017 मनाया गया। वन विभाग द्वारा अब तक कुल लगभग 01 करोड़ पौधों का रोपण किया जा चुका है।

प्रदेश में एक राष्ट्रीय पार्क एवं 26 वन्य जीव विहार तथा पक्षी विहार हैं, जिन्हें विकसित किये जाने की योजना है।

भविष्य में कृषकों की आय में अभिवृद्धि के लिये वनीकरण के कार्यक्रमों में कृषकों की भूमिका बढ़ायी जायेगी तथा वृक्षारोपण में फलदार वृक्षों को बढ़ावा दिया जायेगा।

वृक्षारोपण के साथ–साथ हमारी सरकार वन्य जीवों के प्राकृतिक वासों के संरक्षण हेतु उपाय कर रही है। वनों में अवैध कटान, शिकार तथा अतिक्रमण पर प्रभावी नियत्रंण किया जा रहा है। वन क्षेत्रों के मानचित्रों को डिजिटाइज किया जायेगा तथा अतिक्रमित वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाकर वृक्षों तथा वनों से आच्छादित करवाया जायेगा।

पर्यावरण के क्षेत्र में भी गंगा नदी के किनारे स्थित कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी आदि शहरों में जल गुणवत्ता का अध्ययन कराया जायेगा एवं क्षेत्र के आसपास उ़द्योगों से उत्पन्न होने वाले औद्योगिक जलीय प्रदूषण का चिन्हीकरण भी किया जायेगा, ताकि प्रदूषण से उत्पन्न प्रभाव को कम किया जा सके।

संस्कृति

उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर अत्यन्त समृद्ध है, जिसकी लोक एवं शास्त्र की परम्परायें पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती हैं। यहाँ का लखनऊ तथा बनारस घराने का कथक जहाँ एक ओर विश्वविख्यात है, वहीं पूर्वांचल, अवध, बुन्देलखण्ड तथा ब्रज की लोक संस्कृति की छटा अत्यन्त मनोरम है।

चालू वित्तीय वर्ष में 'पं0 दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी समारोह' के अन्तर्गत अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जाने की योजना बनायी गई है। इस वर्ष पूरे प्रदेश में लोक कला के संरक्षण हेतु कलाकारों एवं कला रूपों का चिन्हीकरण कर प्रमुख मण्डलीय मुख्यालयों पर लोक कला उत्सव का आयोजन कराया जायेगा।

राम कथा संग्रहालय में संरक्षित गुमनामी बाबा से संबंधित दस्तावेजों को डिजिटाइज किया जायेगा। गोरखपुर में 'लोक मल्हार' तथा अयोध्या में 'सावन झूला' के विशिष्ट कार्यक्रमों के भी आयोजन किये जाने का संकल्प है। 'कृष्ण संग्रहालय' की स्थापना के साथ ही 'पं0 दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी समारोह' के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में माहवार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराने की रूपरेखा बनायी गयी है।

लोक कल्याण संकल्प पत्र–2017 के अनुसार इस वर्ष कलाकारों का उन्नयन एवं प्रशिक्षण, फिल्मों का विकास (डाक्यूमेन्ट्री, ऑडियो विजुअल), लोक कलाकारों को वाद्य यंत्रों के लिये धनराशि की व्यवस्था, कला परिषद का गठन, कबीर अकादमी की स्थापना, महानगरों तथा जिला केन्द्रों पर कला उत्सव के आयोजन तथा गोरखपुर में आधुनिक प्रेक्षागृह का निर्माण कराया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2017–2018 में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संचालनार्थ 135 करोड़ 26 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। गोरखपुर में आधुनिक प्रेक्षागृह के निर्माण हेतु 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था, मथुरा में 'गीता शोध संस्थान' की स्थापना के लिए 1 करोड़ रूपये की व्यवस्था तथा लोक कलाओं के संवर्धन हेतु लोक कलाकारों को वाद्य यंत्रों के लिए अनुदान हेतु 1 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है।

राजकोषीय सेवायें

हमारी सरकार का वित्तीय अनुशासन के साथ–साथ वित्तीय पहल से आर्थिक विकास व सुदृढ़ता को सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर

राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 65 हजार करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

आबकारी शुल्क

आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 20 हजार 593 करोड़ 23 लाख रुपये निर्धारित किया गया है।

स्टाम्प एवं पंजीकरण

स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 17 हजार 458 करोड़ 34 लाख रुपये निर्धारित किया गया है।

वाहन कर

वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 5 हजार 481 करोड़ 20 लाख रुपये निर्धारित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017–2018 के बजट अनुमान

मान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 2017–2018 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा –

- प्रस्तुत बजट का आकार 3 लाख 84 हजार 659 करोड़ 71 लाख रुपये (3,84,659.71करोड़ रुपये) है, जो वर्ष 2016–2017 के बजट के सापेक्ष 10.9 प्रतिशत अधिक है।

- इस आकार के बजट को वित्त पोषित करने हेतु बजट में संसाधनों की समुचित व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व में वर्ष 2016–2017 की अपेक्षा लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि सम्मिलित है।
- बजट में 55 हजार 781 करोड़ 96 लाख रुपये (55,781.96 करोड़ रुपये) की नई योजनायें सम्मिलित की गई हैं।

प्राप्तियाँ

- वर्ष 2017–2018 में 3 लाख 77 हजार 190 करोड़ 88 लाख रुपये (3,77,190.88 करोड़ रुपये) की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित हैं।
- कुल प्राप्तियों में 3 लाख 19 हजार 397 करोड़ 43 लाख रूपये (3,19,397.43.करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियाँ तथा 57 हजार 793 करोड़ 45 लाख रुपये (57,793.43 करोड़ रुपये) की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।
- राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 2 लाख 32 हजार 908 करोड़ 41 लाख रुपये (2,32,908.41करोड़ रुपये) है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 1 लाख 11 हजार 501 करोड़ 90 लाख (1,11,501.90 करोड़) तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 1 लाख 21 हजार 406 करोड़ 51 लाख रुपये (1,21,406.51 करोड़ रुपये) सम्मिलित है।

व्यय

- कुल व्यय 3 लाख 84 हजार 659 करोड़ 71 लाख रुपये (3,84,659.71 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

- कुल व्यय में 3 लाख 7 हजार 118 करोड़ 63 लाख रुपये (3,07,118.63 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा 77 हजार 541 करोड़ 8 लाख रुपये (77,541.08 करोड़ रुपये) पूँजी लेखे का व्यय है।

राजस्व बचत

- वर्ष 2017–2018 में 12 हजार 278 करोड़ 80 लाख रुपये (12,278.80 करोड़ रुपये) की राजस्व बचत अनुमानित है।

राजकोषीय घाटा

- वित्तीय वर्ष 2017–2018 में 42 हजार 967 करोड़ 86 लाख रुपये (42,967.86 करोड़ रुपये) का राजकोषीय घाटा अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97 प्रतिशत है ।
- राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.6 प्रतिशत अनुमानित है।

समेकित निधि

- समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् 7 हजार 468 करोड़ 83 लाख रुपये (7,468.83 करोड़ रुपये) का घाटा अनुमानित है।

लोक लेखा

- लोक लेखे से 7 हजार 600 करोड़ रुपये (7600 करोड़ रुपये) की शुद्ध प्राप्तियाँ अनुमानित हैं।

समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम

- वर्ष 2017–2018 में समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम 131 करोड़ 17 लाख रुपये (131.17 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

अन्तिम शेष

- वर्ष 2017–2018 में प्रारम्भिक शेष 1 हजार 204 करोड़ 55 लाख रुपये (1,204.55 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष 1 हजार 335 करोड़ 72 लाख रुपये (1335.72 करोड़ रुपये) होना अनुमानित है।

मान्यवर,

हमारी सरकार का प्रस्तुत बजट यह दर्शाता है कि यह सरकार प्रदेश के सर्वांगीण व त्वरित विकास के लिए पूरी तरह से कृत–संकल्प है। हमारा लक्ष्य है–''सबका साथ–सबका विकास''। हम अपने प्रयासों को लगातार तीव्र करते रहेंगे ताकि उत्तर प्रदेश पाँच वर्षों में देश के शीर्ष प्रदेशों में शामिल हो सके।

मान्यवर,

मैं मंत्रि–परिषद के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूँ कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूँ । मैं अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त, प्रमुख सचिव, वित्त और वित्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है। मैं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी इस हेतु

आभार प्रकट करता हूँ। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिये अपना आभार प्रकट करता हूँ।

मान्यवर,

''सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः'' की मंगलकामना के साथ इस विशाल प्रदेश की जनता के सर्वांगीण सामाजिक–आर्थिक विकास, सुख एवं सम्पूर्ण प्रगति की परिकल्पना को साकार करने हेतु मैं पूज्य पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी को सादर स्मरण करते हुए उनके "लक्ष्य अंत्योदय – प्रण अंत्योदय – पथ अंत्योदय " को समर्पित इन पंक्तियों के साथ वित्तीय वर्ष 2017–2018 का प्रदेश का आय–व्ययक प्रस्तुत करता हूँ –

''तुम अपने पास रखो, अपने सूरजों का हिसाब,
मुझे तो आखिरी घर तक दीया जलाना है।''

वंदे मातरम्

आषाढ़ 20, शक संवत् 1939,
तद्नुसार,
दिनाँक : 11 जुलाई, 2017